>

Title: Need to expedite presidential assent to Madhya Pradesh University (Amendment) Bill 2011 for setting up Maharaja Chhatrasal Bundelkhand University at Chhatarpur in Madhya Pradesh.

श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला (खजुराहो): केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 2009 में डॉ0 हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (मध्य प्रदेश) को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिए जाने के बाद इस क्षेत्र में नवीन विश्वविद्यालय की आवश्यकता को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय छतरपुर (म0प्र0) नाम से नए विश्वविद्यालय की स्थापना की ताकि डॉ0 हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर से संबंधित क्षेत्रान्तर्गत जिले के शासकीय/अशासकीय शिक्षण संस्थाओं को नए विश्वविद्यालय से संबद्ध किया जा सके और यहां के लोगों की शैक्षणिक समस्याओं का निराकरण हो सके ।

इस हेतु मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 2011 बिना संशोधन के पारित किया गया और इसको विधि एवं विधायी विभाग म0प्र0 शासन के माध्यम से दिनांक 12.08.2011 को महामहिम राष्ट्रपति जी की स्वीकृति के लिए सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार को भेजा गया है, किंतु अभी तक इस विषय में कोई कार्यवाही गृह मंत्रालय की ओर से नहीं की गई है ।

अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 2011 (क्रमांक 26 सन् 2011) दिनांक 20.07.2011 पर महामहिम राष्ट्रपति जी की स्वीकृति प्राप्त कर शीघ्र राज्य सरकार को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।